

12/5/25  
 हुक्म

राष्ट्रिय वनायक राजेश राधेच  
 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज  
 प्रकरण संख्या 21/19 (2019/00176)  
 नम्बर  
 व ता0 अहकाम  
 जो इस हुक्म की  
 तामील में जारी हुए।

12/5/25

पगावली काज कोर्ट हुक्म ठोकरिया मे  
 प्रस्तुत हुकी वादी वावपूड लूचना  
 अनुपस्थित। प्रतिवादी हाजिर आया।  
 प्रतिवादी ने जाहिर किया कि उक्त  
 वादग्रस्त आरानी मेने क्रम की है।  
 वादग्रस्त आरानी मेरी स्वअभिले सम्पत्ति  
 है। प्रतिवादी ने जाहिर किया कि  
 वादी क्रम 02 मेरी पुगी की जो पोट  
 हो चुकी है एवं वादी क्रम 01 मेरा  
 पुत्र है मेरी पत्नी ले मेरा विवाद है, इन  
 साथ ली रहते है। स्वअभिले आरानी संबंधी  
 पनाबंदी प्रस्तुत की। नामान्तरण संख्या 478  
 दिनांक 20/6/2012 से बेचान से खोना  
 238 रकबा 1.82 है पर फेला राजेश  
 राधेच पुत्र राजेश्वर राधेच जो प्राध्यापक  
 ब्राह्मण निव बमूलिकापला के नाम इले हुके है  
 कर: स्पष्ट है कि वादग्रस्त आरानी  
 प्रतिवादी क्रम 04 की स्वअभिले आरानी है  
 उक्त प्रकरण को आगे चलाया जाना

वादग्रस्त  
 आरानी मेने  
 क्रम की है।  
 अर्थात् मेरी  
 स्वअभिले  
 सम्पत्ति है  
 राजेश राधेच

(अंजना सहरावत)  
 सहायक जजिले वक्ता  
 जिला बारा (राज0)

तारीख व  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

अधिकारीय ही वकी द्वारा की वाद  
के साथ कारानी पैसुब होने से संबंधित  
कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए हैं।  
जकारि प्रतिवादी ने कारानी स्वकामिल  
होने का प्रमाण कोई प्रमाण ही करिमा  
में प्रस्तुत किया है अतः विधि द्वारा  
वकिल होने तथा साक्ष्यों के अभाव में  
उक्त वाद इसी स्टेज पर खारिज  
किया जा रहा है फ्री डिप्री हुकम से  
करी है निवेदन से इजलाल हुकम  
सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)  
उपखण्ड अधिकारी अन्ता  
जिला वारा (राज०)